फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

धीमाराम / धर्मपाल

केस संख्या : T.I. 117/2026

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	26/2/26	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप.। बहस सुनी गई। प्रस्तुत तर्को, दस्तावेजो के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक वाके ग्राम 641, 644, 645 प्रतापपुरा कलां में मौके की यथास्थिति कायम रखे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:37:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती सुमन चौधरी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 117/2025 प्रार्थना पत्र प्रस्तुति दिनांक 01.09.2025

1. घीसाराम पुत्र श्री गोमाराम जाति यादव निवासी ग्राम प्रतापपुरा कलां, तहसील जालसू जयपुर
2. छोटा देवी पत्नी श्री घीसाराम जाति यादव निवासी ग्राम प्रतापपुरा कलाँ, तहसील जालसू, जिला जयपुर।

....वादीगण

बनाम1

1. धर्मपाल पुत्र श्री राजेश कुमार
2. प्रेम देवी पत्नी श्री राजेश कुमार
3. बाबूलाल पुत्र श्री नारायण
4. रेखा पुत्री श्री राजेश कुमार
5. रामकिशोर पुत्र श्री नारायण
6. राहुल पुत्र श्री राजेश कुमार
7. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री नारायण

समस्त जाति अहीर यादव निवासी ग्राम प्रतापपुरा कलाँ, तहसील जालसू, जिला जयपुर।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जालसू। वाद का संक्षिप्त विवरणः

...प्रतिवादीगण

<u>अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र</u>
<u>अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

निर्णय दिनांक 26.02.2026

हस्तगत प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है 1. प्रकरण का संक्षिप्त किया कि ग्राम प्रतापपुरा कलॉ स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 26 (पुराना 25), खसरा नम्बर 641, 644, 645 कुल रकबा 1.0200 हैक्टेयर में वादीगण का 2/3 हिस्सा है । वादीगण का आरोप है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7, जो कि 1/3 हिस्से के सह–काश्तकार हैं, बिना विधिवत विभाजन के [illegible] को अजनबी व्यक्तियों या सोसायटियों को बेचने, छोटे भूखंडों में काटकर कॉलोनी बसा [illegible] निर्माण कार्य करने और मोबाइल टावर लगाने की धमकी दे रहे हैं । अतः वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:37:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

ार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादीगण को नियमानुसार समन जारी किए गए और पंजीकृत ए.डी. के माध्यम से उन्हें सूचना दी गई। इसके बावजूद प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः दिनांक 20–02–2026 को उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थीगण के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों (जमाबंदी एवं प्रार्थना पत्र) का अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के निर्णय हेतु न्यायालय ने निम्न तीन बिंदुओं पर विचार किया है:

प्रथम दृष्टया मामला (Prima Facie Case): राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, विवादित भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सह–काश्तकार के रूप में दर्ज हैं । वादीगण का 2⁄3 हिस्सा रिकॉर्ड में अंकित चला आ रहा है । चूंकि प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर इस तथ्य का खंडन नहीं किया है, अतः वादीगण के पक्ष में एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience): यदि विवादित भूमि का स्वरूप विभाजन से पूर्व बदल दिया जाता है या उसे तृतीय पक्ष को हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो वाद की विषय–वस्तु ँ(नइरमबज डंजजमत) ही समाप्त हो जाएगी । ऐसी स्थिति में, मामले का अंतिम फैसला होने तक संपत्ति को उसके मूल स्वरूप में सुरक्षित रखना न्यायसंगत है।

अपूरणीय क्षति (Irreparable Loss): वादीगण का तर्क है कि प्रतिवादीगण भूमि पर निर्माण कार्य, मिट्टी उठाने या मोबाइल टावर लगाने पर आमादा हैं । यदि कृषि भूमि पर इस प्रकार के अतिक्रमण या अवैध निर्माण हो जाते हैं, तो इसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में धन के माध्यम से संभव नहीं होगी । अतः वादीगण को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।4. निष्कर्ष एवं आदेशःउपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और उभयपक्ष को इस प्रकार पाबन्द किया जाता है कि वे मुख्य वाद (विभाजन) के अंतिम निस्तारण तक विवादित भूमि (खसरा संख्या 641, 644, 645) वाके ग्राम प्रतापपुरा कलां, पटवार हल्का जयसिंहपुरा भू–अभिलेख क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील जालसू जयपुर मे मौके की यथास्थिति बनाये रखे। यह आदेश मुख्य वाद के अंतिम निर्णय तक प्रभावी रहेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:37:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर